Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to include Lohar Caste of Bihar in the Scheduled Tribes list in the State - Laid

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मैं बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र में होने वाली परेशानी की ओर सदन का ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूँ। बिहार सरकार ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए दिनांक 08.08. 2016 को लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हेतु आदेश पारित किया। साथ ही जनजाति मंत्रालय एवं भारत सरकार को ओबीसी की सूची से लोहार को विलोपित करने की अनुशंसा भी कर दी है, परंतु दो वर्ष बीत जाने के बावजूद लोहार केन्द्र की ओबीसी की सूची में अभी तक दर्ज है, जिसके कारण लोहार जाति के सदस्यों को प्रमाण पत्र बनवाने में काफी कठिनाई हो रही है। बिहार सरकार लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति मान रही है, किन्तु भारत सरकार इन्हें ओबीसी मानती है। इसके लिए भारत सरकार के निर्देश पर बिहार सरकार ने वर्ष 2010 में ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट से इथेनोग्राफी करायी (संचित सं. 11/आ.2-आ.नी.08/2010) इस नृजातिय अध्ययन रिपोर्ट के पेज सं. 451 पर साफ तौर पर लिखा गया है कि लोहारा/लोहरा, लोहार का ही पर्यायवाची है । अंग्रेजी के Lohara का हिन्दी ट्रांसलेशन 'लोहार' दर्ज है। वर्ष 1976 में अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 22 पर लोहार, लोहरा प्रकाशित किया गया। वर्ष 2006 में एक्ट 48/2006 के द्वारा लोहार को टाइपिंग की गलती बताकर लोहारा कर दिया गया, जबकि यह प्रमाणित है कि लोहारा नाम की कोई जाति बिहार में पाई हीं नहीं जाती है। इससे पूर्व भी मैंने सदन का ध्यान इस विषय में आकृष्ट कराया था, परंतु अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

अतः मैं पुनः केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि 2016 में निरस्त किए गए 2006 के कानून के आलोक में एक स्पष्ट अधिसूचना जारी करते हुए बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। साथ ही अंग्रेजी शब्द का अनुवाद सही कर इसके लोहारा को “लोहार” शब्द भी किया जाए।